राजस्थान सरकार

अधीक्षक मानसिक विमंदित महिला एवं बाल कल्याण पुनर्वास गृह

केम्वे गोल्फ होटल के सामने आगरा रोड़ जामडोली जयपुर

क्रमांक   दिनांक

अल्प कालीन निविदा सूचना

राज्यपाल महोदय की और से अधीक्षक मानसिक विमंदित महिला एवं बाल कल्याण पुनर्वास गृह में निम्न सामग्री हेतु मुहरबन्द निविदा आमंत्रित की जाती हैं।

क्र. सं.	NIT सं.	सामग्री का विवरण	अनुमानित लागत	सम्भावित मात्रा	बयाना राशि	निविदा प्रपत्र विक्रय करने की अन्तिम तिथि	भरे हुए निविदा प्रपत्र जमा करवाने की अन्तिम तिथि	निविदा खोलने की तिथि
1	1/2016 –17	गद्दे फोम के (साईज 3 X 6) मोटाई 2 इन्च रेगजीन कवर सहित	400000/–	150 नग	8000/–	16.05.2016 को 5.00 बजे तक	17.05.2016 को 01.00 बजे तक	17.05.2016 को 02.00 बजे तक

निविदा से संबंधित पूर्ण विवरण वेबसाइट sppp.rajasthan.gov.in एवं विभागीय वेबसाइट sje.rajasthan.gov.in, एवं कार्यालय समय में कार्यालय में देखा जा सकता है। निविदा से संबंधित जानकारी अधीक्षक के मोबाईल नं. 9828044415 पर ली जा सकती है।

निविदा प्रपत्र 200/– नकद जमा करा कर कार्यालय समय में निविदा प्रकाशन की तिथि से दिनांक 16.05.2016 को 5.00 PM तक प्राप्त किया जा सकता है।

नोटः–1. एक बार जमा कराया गया निविदा शुल्क लौटाया नही जायेगा।

2. यदि निविदा प्रपत्र वेबसाइड से डाउन लोड किया जाता है तो निविदा प्रपत्र की राशि का भुगतान किसी भी शिड्यूल्ड बैंक द्वारा जारी किया गया ड़ि.ड्राफ्ट/ बैंकर्स चैंक द्वारा जो कि निदेशक, विशेष योग्यजन जयपुर के पक्ष में देय हो निविदा प्रपत्र जमा कराते समय साथ में दिया जावें अन्यथा निविदा फार्म रद्द कर दिया जावेगा।

अधीक्षक

क्रमांक 171·76   दिनांकः– 11.5.2016

प्रतिलिपिः–

1. श्रीमान निदेशक सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग,राजस्थान जयपुर को 5 प्रतियां भेजकर निवेदन है कि निविदा को एक क्षैत्रीय दैनिक समाचार पत्र में नियमानुसार तत्काल प्रकाशित कराने श्रम करें।
2. श्रीमान निजी सचिव, निदेशक महोदय, विशेष योग्यजन सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग राजस्थान जयपुर।
3. श्रीमान लेखाधिकारी निदेशालय विशेष योग्यजन,जयपुर को भेजकर निवेदन है कि राज्य उपापन पोर्टल **SPPP.rajashthan.gov.in** पर अपलोड करवाने का श्रम करें।
4. नोटिस बोर्ड़ में चस्पा हेतु कार्यालय निदेशालय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग/उप निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, जयपुर ग्रामीण/जयपुर शहर/अधीक्षक महिला बाल कल्याण पुनर्वास गृह, जयपुर।
5. कार्यालय नोटिस बोर्ड़
6. ACP सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग को भेज कर लेख है कि विभागीय वेबसाईड **sje.rajasthan.gov.in** ,अपलोड करवाने का श्रम करें।

अधीक्षक

राजस्थान सरकार

अधीक्षक मानसिक विमंदित महिला एवं बाल कल्याण पुनर्वास गृह जामडोली जयपुर

निविदा प्रपत्र

1 विषयः गददो की आपूर्ति हेतु निविदा प्रपत्र।

2 निविदादाता फर्म/संवेदक का नाम एवं डाक का पता..

3 निविदादाता फर्म/संवेदक का फोन एवं मोबाइल नम्बर ....

4 सन्दर्भ निविदा सूचना क्रमांक– 1 /**2016–17** दिनांक ....

5 निविदा शुल्क की राशि 200/– अक्षरे दो सौ मात्र (रसीद संख्या)/ डी.डी./बैंकर्स चैंक नम्बर..............................दिनांक.....................के द्वारा जमा करा दी गयी है।

6 हम अधीक्षक मानसिक विमंदित महिला एवं बाल कल्याण पुनर्वास गृह जामडोली जयपुर द्वारा जारी की गयी निविदा सूचना संख्या **1/2016–17** दिनांक......................में वर्णित सभी शर्तो से तथा संलग्न शीट(इनके सभी पृष्टों पर उनमें उल्लेखित शर्तो को हमारे द्वारा स्वीकार किये जाने प्रमाण में हमने हस्ताक्षर कर दिये है) में दी गयी उक्त निविदा सूचना की अतिरिंक्त शर्तो से बाध्य होना स्वीकार करते है।

7 गददो की आपूर्ति बाबत हमारी दर निम्न प्रकार हैः–

क्र.सं.	सामग्री का विवरण	दर प्रति नग (मय समस्त करों एवं आनुषगिक प्रभारों के विवरण सहित)	विवि
1	2	3	4
1.	150 गद्दे फोम के (साईज 3X6) मोटाई 2 इन्च रेगजीन कवर सहित	रूपये अंको में.............................. शब्दों में..	

8 फर्म द्वारा आदेश प्राप्त करने की दिनांक से अधिकतम 7 दिवस की अवधि के भीतर आपूर्ति करनी होगी।

9 बयाना राशि रूपये 8000/–अक्षरे आठ हजार मात्र के पेटे बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चैंक संख्या....................................जो (बैक का नाम)..

....पर आहरित किया गया है चालान संख्या..............................और दिनांक.........................रूपये....................संलग्न है।

10 बिक्री कर पंजीयन प्रमाण पत्र संख्या...

11 आयकर स्थाई खाता संख्या..

12 संलग्न प्रमाण पत्रों का विवरण (प्रमाण पत्रों की प्रति संलग्न करे)

1. आयकर चुकता प्रमाण पत्र
2. बिक्री कर चुकता प्रमाण पत्र
3. अन्य
4.
5.

निविदा देने वाले के हस्ताक्षर मय नाम

प्रतिबन्ध एवं शर्ते

टिप्पणी:– **निविदादाताओं को इन शर्तो को सावधानीपूर्वक पढ़ना चाहिये तथा अपनी निविदाये भेजते समय इन्हें पूर्ण रूप से स्वीकार किया जाना चाहिये ।**

1 निविदादाताओ को निविदा सूचना में दिये गये निर्देशों के अनुसार उचित रूप से मुहर बन्द लिफाफे में बन्द करना चाहिये तथा लिफाफे पर कार्यालय में स्थापित लिफ्ट के वार्षिक रख–रखाव हेतु संविदा हेतु निविदा" अंकित करना होगा।

2 व्यक्ति/संस्था/फर्म द्वारा प्रस्तुत निविदाओ पर क्रय समिति द्वारा विचार किया जावेगा। इस संबंध में क्रय समिति का निर्णय अंतिम होगा।

3 निविदादाता को अनुमानित लागत रू 400000/– का 2 प्रतिशत राशि रू. 8000/– बयाना राशि (अर्नेस्टमनी) बैंक ड्राफ्ट/बैकर्स चैक के द्वारा अधीक्षक मानसिक विमंदित महिला एवं बाल कल्याण पुनर्वास गृह जामडोली जयपुर के नाम निविदा पत्र के साथ जमा करानी होगी। बिना बयाना राशि जमा कराये निविदा पर विचार नही किया जावेगा ।

4 **फर्म को बिक्री कर पंजीयन संख्या का उल्लेख किया जाना चाहिए तथा संबंधित सर्किल के वाणिज्यिक कर अधिकारी से बिक्रीकर चुकता प्रमाण पत्र,आयकर स्थायी खाता संख्या (पेन कार्ड) एवं आयकर चुकता प्रमाण पत्र,संबंधित दस्तावेज प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। (प्रमाणित प्रतियां) उस के बिना निविदा पर विचार नही किया जायेगा।**

5 फर्म आदि के गठन को किसी भी परिर्वतन की सूचना क्रेता अधिकारी को लिखित में अनुबन्धित फर्म/संस्था द्वारा दी जायेगी तथा इस परिवर्तन से संविदा के अधीन किसी भी दायित्व से,फर्म के पहले सदस्य को मुक्त नही किया जावेगा। संविदा के संबंध में फर्म में किसी भी नये भागीदारों को फर्म द्वारा फर्म में तक स्वीकार नही किया जावेगा जबकि वे इसकी समस्त शर्तो को मानने के लिये बाध्य नही हो जाते एवं क्रेता अधिकारी को इस संबंध में लिखित इकरारनामा प्रस्तुत नही कर देते। प्राप्ति स्वीकृति के लिये फर्म की रसीद या बाद में उपरोक्त रूप से स्वीकार की गयी किसी भागीदार को रसीद उन सब को बाध्य करेगी तथा वह संविदा के किसी प्रयोजन के लिये पर्याप्त रूप से उन्मुक्ति होगी।

6 निविदादाता द्वारा दरें उचित स्थान पर अंकों एवं शब्दो दोनो में लिखी जानी चाहिये। निविदा के प्रत्येक पृष्ट एवं कांट छांट पर निविदादाता के पूर्ण हस्ताक्षर किये जाने अनिवार्य है। निविदा प्रपत्र बालपेन या टंकण से भरा जावेगा।

7 मोहर बंद निविदा प्रपत्र मय बयाना (अर्नेस्टमनी) राशि **8000/–**(अक्षरे आठ हजार मात्र) दिनांक 17.5.2016 को 1.00 बजे दोपहर तक अधीक्षक मानसिक विमंदित महिला एवं बाल कल्याण पुनर्वास गृह जामडोली जयपुर के कार्यालय में रखे हुये टेण्डर बाक्स में पहुंच जानी चाहिये निविदाये दिनांक **17.05.2016** को 02:00 बजे खोली जावेगी ।

8 विधि मान्यता : निविदाये उनके खोले जाने के दिनांक से तीन माह की अवधि के लिये विधि मान्य होगी।

9 फर्म अपनी संविदा को या उसके किसी सारवान भाग को किसी अन्य एजेन्सी के लिये नही सौपेगा या उप भाडे (सबलैट) पर नहीं देगा।

10 निविदादाता का/उसके प्रतिनिधि की ओर से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अपना पक्ष समर्थन कराना एक प्रकार की अनर्हता होगी।

11 असफल निविदादाताओ को बयाना राशि एक माह मे (निविदा स्वीकृत होने की तिथि से) वापस कर दी जायेगी।

12 करार एवं प्रतिभूति निक्षेप:–

i सफल निविदादाता को आदेश के प्राप्त होने से 2 दिवस की अवधि के भीतर निर्धारित प्रारूप में एक करार 500 /–रूपये के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर निष्पादित करना होगा तथा जिस कार्य के लिये निविदाये स्वीकार की गई है। उनके मूल्य के 5 प्रतिशत के बराबर प्रतिभूति जमा करानी होगी। यह प्रतिभूति प्रेषण के उस दिनाक से जिसको निविदा के स्वीकार किये जाने की सूचना उसे दी गई है, 2 दिवस के भीतर जमा करायी जायेगी ।

ii निविदा के समय जमा करायी गयी बयाना राशि को प्रतिभूति की राशि कि लिये समायोजित किया जायेगा। प्रतिभूति की राशि किसी भी दिशा में बयाना राशि से कम की नही होगी।

iii प्रतिभूति राशि पर विभाग द्वारा ब्याज का भुगतान नही किया जावेगा।

iv प्रतिभूति राशि के रूप निम्न प्रकार होगेः–

(क) बैक ड्रापट / बैकर्स चैक / चालान की रसीदी प्रति।

(ख) डाकघर बचत बैक पास बुक जिसे विधिवत गिरवी रखा जायेगा।

(ग) अल्प बचतो को प्रोत्साहन देने के लिये राष्ट्रीय बचत योजनाओ के अन्तर्गत राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र, डिफेंस सेविंग्स सर्टिफिकेटस, किसान विकास पत्र या अन्य कोई स्क्रिप्ट / विलेख यदि उन्हे गिरवी रखा जा सकता हो। इन प्रमाण पत्रों को उनके समर्पण मूल्य (सरेण्डर वेल्यू) पर स्वीकार किया जावेगा।

V करार पत्र को पूर्ण करने एवं उस पर स्टाम्प लगाने का व्यय निविदादाता द्वारा वहन किया जायेगा तथा विभाग को उस करार की एक निष्पादित स्टाम्प शुदा प्रतिपड़त निःशुल्क प्रस्तुत की जायेगी।

Vi प्रतिभूति राशि आपूर्ति को संतोषजनक रूप से पूर्ण कर दिये जाने के बाद, यदि कोई देय बकाया नही है तो लिखित प्रार्थना पत्र देने पर एक माह में लौटा दी जावेगी।

13 बयाना राशि का समपहरणः– बयाना राशि को निम्नलिखित मामलो में समपहत कर लिया जायेगाः–

I जब निविदादाता निविदा खोलने के बाद किन्तु निविदा को स्वीकार करने से पूर्व प्रस्ताव को वापस लेता है, उसमें रूपान्तरण करता है।

ii जब निविदादाता विनिर्दिष्ट समय के भीतर विहित किसी करार को, यदि कोई हो, निष्पादित नही करता हो।

iii जब निविदादाता आपूर्ति के लिये आदेश देने के बाद प्रतिभूति राशि जमा नही कराता हो

iv जब वह विहित समय के भीतर कार्य आदेश के अनुसार आपूर्ति करने में असफल रहता हो

14 प्रतिभूति निक्षेप का समपहरणः प्रतिभूति की राशि को पूर्ण या आंशिक रूप से निम्नालिखित मामलो में समपहत कर लिया जावेगा :–

I जब संविदा की शर्तो का उल्लंघन किया गया हो।

ii जब निविदादाता सम्पूर्ण आपूर्ति संतोषजनक ढंग से करने के असफल रहा हो।

iii प्रतिभूति निक्षेप को समपहत करने के मामले में युक्ति युक्त समय पूर्व नोटिस दिया जायेगा। इस संबंध में क्रेता अधिकारी का निर्णय अंतिम होगा।

15. फर्म द्वारा शर्तो का उल्लंघन करने पर उसे 1 दिवस का नोटिस देकर आपूर्ति आदेश निरस्त कर दिया जावेगा।

16 आपूर्ति आदेश की संख्या मे 50 प्रतिशत तक की मात्रा उन्ही दरो पर बढाया जा सकेगा या कम किया जा सकेगा। जिसके लिये संवेदक बाध्य होगा।

17 फर्म द्वारा प्रस्तुत प्रमाण पत्र या अन्य कोई त्रुटि पायी जाने पर निविदा को रदद करने का अधिकार अधीक्षक मानसिक विमंदित महिला एवं बाल कल्याण पुनर्वास गृह जामडोली जयपुर को होगा ।

18. सरकार द्वारा विहित सेवा कर (सर्विस टैक्स) एवं अन्य सभी कर आदि फर्म द्वारा ही वहन किये जावेगे। अर्थात् सभी कर सम्मिलित करते हुए दरें प्रस्तुत करें। बाद में विभाग द्वारा उसे कोई अतिरिक्त राशि देय नही होगी।

19. भुगतानः—भुगतान अग्रिम नही किया जायेगा। जब तक पक्षकारों के मध्य अन्यथा सहमति न हो जाये, कार्य के लिये भुगतान निविदादाता द्वारा क्रेता अधिकारी को उचित प्रारूप में सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों के अनुसार बिल प्रस्तुत करने पर त्रैमासिक रूप से किया जायेगा।

20. यदि निविदादाता ऐसी शर्ते आरोपित करता है, जो उसमें वर्णित शर्तो के अतिरिक्त है या उनके विरोध में है तो उसकी निविदा को संक्षिप्त रूप में कार्यवाही कर रदद कर दिया जावेगा। किसी भी सूरत में इनमें से किसी भी शर्ते को स्वीकार किया हुआ नही समझा जायेगा। जब तक कि क्रेता अधिकारी द्वारा जारी किये गये निविदा स्वीकृति के पत्र में विशेष रूप से उल्लेखित न किया गया हो।

21. क्रय समिति किसी भी निविदा को जो आवश्यक रूप से न्यूनतम दर की निविदा नही है,स्वीकार करने, बिना कोई कारण बतलाये किसी भी निविदा को रदद करने या जिन कार्यो के लिये निविदादाता ने निविदा दी है, उन सब के लिये या किसी एक या अधिक के लिये निविदा को स्वीकार करने या एक फर्म/सप्लायर से अधिक को कार्य वितरित करने के अधिकार को अपने पास आरक्षित रखेगा।

22. निविदादाता करार को निष्पादित करते समय निम्नालिखित दस्तावेज प्रस्तुत करेगाः—

i यदि भागीदारी फर्म हो तो भगीदारी विलेख की एक अभिप्रमाणित प्रति।

ii यदि भागीदारी फर्म रजिस्ट्रार आफ फर्म्स के पास पंजीकृत हो तो पंजीयन संख्या एवं उसका वर्ष।

iii एक मात्र व्यक्ति के मामले में आवास एवं कार्यालय का पता टेलीफ़ोन नंबर।

iv कम्पनी के मामले में कम्पनी रजिस्ट्रार के द्वारा जारी किया गया प्रमाण पत्र।

23. यदि संविदा के निर्वचन आशय या संविदा की शर्तो के उल्लघन के संबंध में कोई विवाद उत्पन्न होता है तो पक्षकारो द्वारा मामले को विभागाध्यक्ष को भेजा जायेगा, जो उस विवाद के लिये एक मात्र मध्यस्थ के रूप में अपने वरिष्ठतम उप अधिकारी को नियुक्त करेगा। यह उप अधिकारी इस संविदा से संबद्व नही होगा तथा उसका निर्णय अंतिम होगा एवं मान्य होगा।

24. समस्त विधिक कार्यवाही यदि संस्थित किया जाना आवश्यक हो तो किसी भी पक्षकार (सरकार या ठेकेदार) द्वारा जयपुर में जिला न्यायालय में ही पेश की जायेगी अन्यत्र पेश नही की जायेगी।

25. सामग्री की आपूर्ति निर्धारित समय पर करवानी होगी। निर्धारित समय के विलम्ब पर नियमानुसार परिनिर्धारित क्षति देय होगीः—

26. **अ** विहित सुपुर्दगी अवधि की एक चौथाई अवधि के विलम्ब के लिए 2.5 प्रतिशत

ब एक चौथाई अवधि से अधिक किन्तु विहित अवधि की आधी से अनधिक के लिये 5 प्रतिशत

स आधी अवधि से अधिक किन्तु विहित अवधि की तीन चौथाई से अनधिक अवधि के लिए 7.5 प्रतिशत

द विहित अवधि की तीन चौथाई से अधिक के विलम्ब के लिए 10 प्रतिशत

27. परिसमापित नुकसानी,कम प्रदाय, टूट—फूट,रदद की गई वस्तुओ के लिए वसूली साधारण रूप से बिल में से की जायेगी। प्रदायकर्ता कम प्रदाय,टूटफूट,रदद् किये मालों की सीमा तक राशि को भी रोका जा सकेगा तथा यदि प्रदाकर्ता संतोषजनक ढंग से उनके नही बदलता है तो परिसमापित नुकसानो के साथ वसूली उसकी देय राशि एवं विभाग के पास उपलब्ध प्रतिभूति निक्षेप से की जायेगी। यदि वसूली करना सम्भव न हो तो राजस्थान पीडीआर एक्ट या प्रवृत्त किसी अन्य कानून के अन्तर्गत कार्यवाही की जायेगी।

28. निविदायें गददों के वास्तविक डीलरों /व्यवसायी द्वारा ही दी जायेगी। अतः संलग्न घोषणा प्रपत्र में एक घोषणा प्रस्तुत की जायेगी।

29. निविदादाता यह गददो की गारंटी / वारंटी देगा की माल की सुपुदर्गी की दिनांक से .... दिनों/माहो की अवधि तक यथा विनिर्दिष्ट विवरण एवं गुणवत्ता के अनुरूप बनी रहेगी। तथा इस तथ्य के बावजूद कि क्रेता ने उक्त मालो/सामानों/वस्तुओ का निरीक्षण कर लिया है एवं/या उन्हे अनुमोदित कर दिया है,यदि ....दिनों/माहों की उक्त अवधि में उक्त मालों को उपरोक्त विवरण एवं गुणवत्ता के अनुरूप नही पाया गया या वे समाप्त हो गये है(तथा उस संबंध में क्रेता अधिकारी का निर्णय अन्तिम व निर्णायक होगा,)तो क्रेता उक्त मालों या उनके उस भाग को जो उक्त विवरण एवं गुणवत्ता के अनुरूप नही पाये जाये,रदद करने का हकदार होगा। ऐसे रदद किये जाने पर माल विक्रेता की जोखिम पर होगी तथा माल आदि को रदद करने से सम्बन्धित समस्त

उपबन्ध लागू होंगें। निविदादाता यदि उसे ऐसा करने के लिए कहा जाये तो वह उस माल आदि को या उसके भाग को जिसे क्रेता अधिकारी द्वारा रदद दिया गया है,बदल देगा, अन्यथा निविदादाता ऐसी नुकसानी के लिए भुगतान करेगा जो इसमे दी गई शर्ते के उल्लंघन के कारण उत्पन्न होगी। इसमें दी गई कोई भी बात से इस संविदा के अधीन या अन्यथा उस संबंध में क्रेता अधिकारी के किसी अन्य अधिकार पर प्रतिकूल प्रभाव नही डालेगा।

30. गददो की आपूर्ति कार्यालय अधीक्षक मानसिंक विमंदित महिला एंवं बाल कल्याण पुनर्वास गृह जामडोली जयपुर में करनी होगी जिसके लिए पृथक से कोई अतिरिक्त राशि का भुगतान नही किया जायेगा।

31. सामग्री की आपूर्ति अधिकतम 7 दिवस के भीतर किया जाना होगा।

32. संवेदक/फर्म केन्द्र सरकार, राज्य सरकार एवं उनके उपक्रमों द्वारा ब्लैक लिस्टेंड नहीं होनी चाहिये।

उपरोक्त कार्य संबंधी शर्ते, मैनें पढ़ ली है, ओर स्वीकार किया है।

(हस्ताक्षर निविदादाता)

30 गददो की आपूर्ति कार्यालय अधीक्षक मानसिंक विमंदित महिला एंवं बाल कल्याण पुनर्वास गृह

एसआर प्रारूप–11

निविदादाताओं द्वारा घोषणा

मैं/ हम घोषणा करता हूँ/करते है कि मैंने/हमने जिन सेवा /सामानों/उपकरणों के लिये निविदा दी है उनका/उनके/ मै बोनाफाइड विनिर्माता/ थोक विक्रेता/सोल वितरक/प्राधिकृत डीलर/ सोल विक्रय विपणन एजेण्ट/ व्यवसायी हूँ।

यदि यह घोषणा गलत पाई जावे तो किसी भी अन्य कार्यवाही, जो की जा सकती है, पर प्रतिकूल प्रभाव ड़ाले बिना, मेरी/ हमारी प्रतिभूति को पूर्ण रूप में समपहृत कर किया जा सकेगा तथा निविदा को जिस सीमा तक उसे स्वीकार किया गया है,रद्द किया जा सकेगा।

निविदादाता के हस्ताक्षर

नाम व पता